<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-21/2083/53-2014</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक- 10 अक्टूबर, 2014

विषय-प्रादेशिक को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 के अन्तर्गत 'पराग' ब्राण्ड के जल का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 प्रदेश का एक शीर्ष सहकारी संस्थान है, जो ब्राण्ड रॉयल्टी के आधार पर मेसर्स एलर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, बाराबंकी द्वारा 250 मि0ली0, 500 मि0ली0, 01 ली0 एवं 02 ली0 की बोतल में प्रोसेस एवं पैक कराकर जन सामान्य को मात्र रू0 13/- (रू0 तेरह) प्रति लि0 पर 'पराग' ब्राण्ड का शुद्ध जल उपलब्ध करा रहा है। विभिन्न शासकीय विभागों, सहकारी संस्थाओं, स्वशासी संस्थानों, निगमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि द्वारा विभिन्न ब्राण्डों के पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उपभोक्ता मूल्य खुले बाजार में रू0 18/- (रू0 अठारह) प्रति ली0 है।

प्रदेश के उपरोक्त विभागों एवं संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे अन्य ब्रान्डों के पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर के स्थान पर 'पराग' पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर प्रयोग में लाया जाना प्रदेश के सहकारिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी पैक्ड जल का उपभोग करने वाली संस्थाओं के लिए लाभदायक है। अत: उक्त आशय का निर्देश अपने विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों आदि को जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in